उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार–249404

संख्या : 77/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा–1/2019–20 **दिनांक : 01 जून, 2026**

<u>विस्तृत कार्यक्रम</u>

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग– समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा–2020 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह ग' सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा–2020 के अन्तर्गत दिव्यांगजन की रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 की धारा 34(2) के क्रम में अदला–बदली की प्रक्रिया के अनुसार विज्ञप्ति संख्या :206/16 /प्र0परीक्षा(मुख्य)–2020 /गोपन–2/2020–21 दिनांक 13 फरवरी, 2026 द्वारा विषयवार अभिलेख सत्यापन सूची **(Documents Verification List)** में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में दिनांक 12 मार्च, 2026 एवं दिनांक 13 मार्च, 2026 को सम्पन्न किया गया। उक्त अभिलेख सत्यापन में कतिपय अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

02–अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा मा0 आयोग से अभिलेख सत्यापन हेतु पुनः अवसर प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा उक्त अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।

उक्त के क्रम में अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले समस्त अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में दिनांक 12 जून, 2026 को किया जाना निर्धारित है:–

अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

दिनांक 12 जून, 2026 (समय–पूर्वाह्न 10:00 बजे से प्रारम्भ)

क्र0 स0	विषय	अभ्यर्थियों की संख्या	अनुक्रमांक							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	हिन्दी (सामान्य शाखा)	02	801400	828455	-	-	-	-	-	-
2	संस्कृत (सामान्य शाखा)	01	845881	-	-	-	-	-	-	-
3	इतिहास (सामान्य शाखा)	01	833348	-	-	-	-	-	-	-
4	भौतिक विज्ञान (सामान्य शाखा)	03	808497	813230	818519	-	-	-	-	-
5	जीव विज्ञान (सामान्य शाखा)	06	800150	810098	811004	831462	832485	842824	-	-
6	रसायन विज्ञान (सामान्य शाखा)	08	814325	816495	821381	824407	825062	835779	836729	841448
7	रसायन विज्ञान (महिला शाखा)	01	820188	-	-	-	-	-	-	-
8	जीव विज्ञान (महिला शाखा)	01	819604	-	-	-	-	-	-	-
9	अर्थशास्त्र (महिला शाखा)	01	835669	-	-	-	-	-	-	-

03–अभिलेख सत्यापन सूची में सफल अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह ग' सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा–2020 के ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड किये जाने के लिए आयोग की वेबसाईट **<u>psc.uk.gov.in</u>** पर दिनांक **<u>08 जून, 2026</u>** से लिंक खोला जाएगा। अभ्यर्थीगण उक्त लिंक के माध्यम से प्रश्नगत परीक्षा हेतु भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड करे सकते है।

04–प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व **अभिलेख सत्यापन सूची <u>(Documents Verification List)</u>** में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट व चैकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा <u>(Scrutiny)</u> मार्गदर्शिका–2019** के आलोक में किया जाएगा।

05–इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए, समस्त प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 02 सैट के साथ नियत तिथि को, आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे–

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र (अनुक्रमांक सहित)।

(ख) विस्तृत आवेदन–पत्र **<u>(Detailed Application Form)</u>** **(प्रपत्र संख्या–02)**

(ग) प्रमाणीकरण–प्रपत्र **<u>(Attestation Form)</u>** **(प्रपत्र संख्या–03)**

(घ) देशना–पत्रक **<u>(Index Card)</u>** **(प्रपत्र संख्या–04)।**

05–अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को निम्नलिखित <u>मूल प्रमाण–पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (02 प्रतियों में)</u> अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे :–

1) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।

2) इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।

3) स्नातक उपाधि एवं अंक–तालिका (समस्त वर्षों/समस्त सेमेस्टर की)।

4) स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंक–तालिका (समस्त वर्षों/समस्त सेमेस्टर की)।

5) एल0टी0 डिप्लोमा या शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।

6) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो)।

7) आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण–पत्र।

8) विज्ञापन के बिन्दु सं0–2(2) में उल्लिखित नोट "समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता" के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाण पत्र।

09) यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

10) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।

11) यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था **<u>(Examining Body)</u>** ने नियमित प्रमाण–पत्र **<u>(Certificate)</u>** अथवा उपाधि **<u>(Degree)</u>** नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र **<u>(Provisional Certificate)</u>** मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर दिखाना होगा।

12) पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।

13) उपरोक्त क्रमांक (01 से 13) पर वांछित अभिलेखों की चैकलिस्ट। (अभ्यर्थी वेबसाइट से चैकलिस्ट डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर लें)।

06—यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

07—यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया है, यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नही होते हैं, तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

-Sd/

(अशोक कुमार पाण्डेय)

सचिव